RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485
Regd. Office: Vidhyut Bhawan,Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur- 302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C)
RRVPNL, CHITTORGARH (RAJ.)
Email: xen.tnc.chittor@rvpn.co.in; Website: www.rvpn.co.in, Mo. No. 9414015928

NO. RVPNL/XEN/T&C/CHR/2019-20//F. / D- 196 Date :- 07.11.2019

निमित्त,
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

विषय :– Diversion of 1.9003 Hectare of Forest land for construction of 132 KV S/C Bagidora-Mahi (PH-2) Line to 132 KV GSS Chordi, in District Banswara, Rajasthan.(FCA proposal No- FP/Raj/Trans/34423 /2018)

सन्दर्भः– सहायक वन महा निरीक्षक (केंद्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8बी/राज/04/16/2019/एफ.सी./180 दिनांक 18 जुलाई 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा चाही गई सूचनाओं/स्पष्टीकरण के क्रम में एवं इस संबंध में आपके कार्यालय पत्रांक 5214 दिनांक 08.08.2019 एवं 6764–72 दिनांक 25.10.2019 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय से बिंदुवार वांछित प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

बिंदु संख्या–1 The proposal indicates that there is an existing old line and the proposed line is connected to an existing tower. Whether area utilized for this existing line, was diverted under FCA? If not then what action is taken by the State Government for this unauthorized/illegal usage of Forest land for non-forestry purpose?

प्रत्युत्तरः– वन क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान विद्युत लाइन के संबंध में निवेदन है कि वर्ष 1980 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्य की योजना के अंतर्गत ग्राम लिलवानी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा में विद्युत उत्पादन गृह द्वितीय के निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.3(48) Rev./Col./79 दिनांक 21.02.1980 के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 203 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि विद्युत मंडल को आवंटन करने के पश्चात जमाबंदी के अनुसार राजस्व अभिलेखों में इस भूमि का मालिकाना हक अधिशासी अभियंता, माही हाइडल प्रोजेक्ट, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के नाम दर्ज है (प्रमाणित–प्रतिलिपियाँ पूर्व में संलग्न किया जा चुका है)। विद्युत उत्पादन गृह लिलवानी से ग्राम बागीदौरा में स्थित ग्रिड सब स्टेशन की तरफ जाने वाली लगभग 9500 मीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन पूर्व से ही निर्मित है जिसके संबंध में भारत सरकार के द्वारा जानकारी चाही गई है। आपके विभाग के बताये अनुसार इस ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में भी 410 मीटर की लंबाई में 1.107 हेक्टेयर वन भूमि का प्रयोग हुआ है।

उक्त विद्युत उत्पादन गृह एवं ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कि कार्यवाही लगभग 40 वर्ष पूर्व हुई है एवं इसके पश्चात विद्युत विभाग में विभिन्न स्तरों पर व्यापक स्तर पर प्रशासनिक

(S.P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

उप वन संरक्षक
बाँसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

फेरबदल हुआ है। जिसके कारण काफी तलाशी करवाए जाने पर भी उक्त कार्य से संबंधित पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

पूर्व में विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण का कार्य सीमित क्षेत्रों में होने के कारण एकमात्र कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के तत्वावधान में ही करवाया जाता था। किंतु कालांतर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृहद स्तर पर विद्युतीकरण कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा विद्युत विभाग के प्रशासनिक ढांचे में समय–समय पर व्यापक फेरबदल करते हुए विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण के कार्यों हेतु स्वतंत्र रूप से प्रथक–प्रथक निगमों का गठन किया गया है ताकि विद्युतीकरण के कार्यों को विशिष्ट ढंग से समय पर, सुचारू रूप से एवं तीव्र गति से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

वर्तमान में लागू उक्त प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्युत उत्पादन गृह, लिलवानी का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण पूर्णतया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन है एवं उक्त भूमि की लीज डीड की राशि भी प्रतिवर्ष राज्य सरकार को उत्पादन निगम के द्वारा ही जमा करवाई जा रही है।

विद्युत उत्पादन गृह, लिलवानी को भूमि आवंटन हेतु जारी राज्यादेश दिनांक 21.02.1980 की प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है किंतु इस संबंध में संयुक्त सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत मंडल राजस्थान, जयपुर के द्वारा लीज डीड की राशि के बजट आवंटन के संबंध में जारी किए गए एक अन्य आदेश क्रमांक RSEB/Sec.4/Aoq./Allot./MHP/Lilwani/F.24(264) दिनांक शून्य की प्रतिलिपि पुराने रिकॉर्ड में प्राप्त हुई है (प्रमाणित–प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है)। इस आदेश में राज्यादेश दिनांक 21.02.1980 का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की कार्यवाही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के पूर्व होने के कारण इस प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है, इस आशय का शपथ–पत्र रु. 100 मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक शपथ पत्र पर अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

इस कार्यालय द्वारा 1.9003 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चोरड़ी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा में स्थित ग्रिड सब स्टेशन चोरड़ी में विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित की जा रही वर्तमान ट्रांसमिशन लाइन को बताये गये वन क्षेत्र में पूर्व से निर्मित 410 मीटर लंबी विद्युत लाइन के टावर नंबर 91 से लिलो (Line in Line out) करने हेतु जोड़ने मात्र की कार्यवाही की जानी है जिससे कि ग्रिड सब स्टेशन चोरड़ी के माध्यम से इस परिधि क्षेत्र के कई अन्य गावों के सैकड़ों कृषकों को आगामी रबी मौसम में कृषि कार्य करने हेतु आवश्यक विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

उपरोक्तानुसार इस प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है एवं वर्तमान में वन भूमि में प्रस्तावित की जा रही ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। फिर भी यदि 410 मीटर लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु पूर्व में प्रयोग में लाई गई वन भूमि का भी प्रत्यावर्तन करवाया जाना आवश्यक होगा तो पूर्व में प्रयोग में लाई गई वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी प्रथक से प्रस्तुत करने हेतु यह कार्यालय वचनबद्ध है, इस आशय का भी उल्लेख शपथ–पत्र में कर दिया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में एवं परियोजना में निहित व्यापक जनहित एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार 1.9003 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति यथासंभव शीघ्र जारी कराना फरमावें।

<u>बिंदु संख्या–2</u> The office order of RVPNL for authorization for submission of proposal (at page 8) clearly indicates that there is violation of FCA, while SIR of DFO and Part 11 of the form do not mention anything about violation of FCA. Explanation is required from the concerned officials for this negligent reporting. The State Government needs to submit detail report on status of violation of FCA and action taken against the offenders.

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

प्रत्युत्तरः– वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता (टी एण्ड सी), आर.आर.वी.पी.एन.एल. चित्तौड़गढ़ को अधिकृत करने हेतु अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी), आर.आर.वी.पी.एन.एल. चित्तौड़गढ़ के द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश में ''उल्लंघन'' का शब्द केवल टंकण त्रुटिवश ही हुआ है। प्रस्तुत किए गए इस प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन अधिनियमों का वास्तव में किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः इस भूल सुधार के लिए अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी), आर.आर.वी.पी.एन.एल. चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक 788 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया है, जो कि अवलोकनार्थ एवं प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु 5 प्रतियों में प्रस्तुत है।

बिंदु संख्या–3 CA scheme is not in accordance with FCA guidelines. It needs to be revised to include plantation of 1000 plants/ha.

प्रत्युत्तरः– प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान श्रमिक दरों के अनुरुप राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किये गये मॉडल के अनुसार ही है जिसमें परिभाषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रति हेक्टेयर राशि 1,36,830/– रुपये 700 पौधों के रोपण एवं 300 पौधों का कॉन्टूर ट्रेन्चिंग पे बीजारोपण (कुल 1000 पौधें) हेतु स्वीकृत है।

इस संदर्भ में प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 22–35 दिनांक 01.02.2019 (प्रतिलिपि सलंग्न) द्वारा जारी निर्देश की प्रतिलिपि सलंग्न है।

बिंदु संख्या–4 NOC of concerned departments needs to be submitted.

प्रत्युत्तरः– इस ट्रांसमिशन लाइन निर्माण की परियोजना के मार्ग में रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, केंद्रीय सड़क संगठन एवं नागर विमानन विभाग आदी किसी भी अन्य एजेंसीज के कोई भी हित अथवा कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं जिसके कारण इन एजेंसीज से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।

बिंदु संख्या–5 As per the DSS analysis report SOI toposheet of proposed CA land as well as land to be diverted needs submission.

प्रत्युत्तरः– निर्देशानुसार प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गई वन भूमि को सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट पर दर्शाया जा कर अवलोकनार्थ एवं प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु 5 प्रतियों में प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस.पी.सरकार)
अधिशासी अभियंता (टी एण्ड सी),
रा.रा.वि. प्र.नि. लिमि., चित्तौड़गढ़
(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

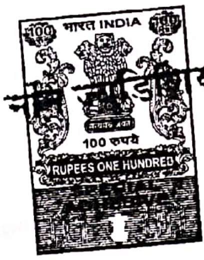

शपथ–पत्र

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/Raj/Trans/34423/2018) "Diversion of 1.9003 Hectare of Forest land for construction of 132 KV S/C Bagidora-Mahi (PH-2) Line to 132 KV GSS Chordi, in District Banswara, Rajasthan." के संबंध में सहायक वन महा निरीक्षक (केंद्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8बी/राज/04/16/2019//एफ.सी./180 दिनांक 18 जुलाई 2019 के द्वारा चाही गई सूचनाओं/स्पष्टीकरण के कम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु मैं एस.पी. सरकार अधिशासी अभियंता (टी एण्ड सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ शपथ पूर्वक यह कथन करता हूं कि :–

1. बिंदु संख्या–1 के द्वारा वांछित सूचना/स्पष्टीकरण के कम में प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार वर्तमान में प्रस्तावित की गई ट्रांसमिशन लाइन के अलावा वन भूमि में पूर्व से निर्मित 410 मीटर लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के पूर्व हुआ है एवं यदि आवश्यक हुआ तो पूर्व से निर्मित 410 मीटर लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई वन भूमि के प्रत्यावर्तन का भी प्रस्ताव नियमानुसार प्रस्तुत कराने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम वचनबद्ध है।

2. बिंदु संख्या–2 के द्वारा वांछित सूचना/स्पष्टीकरण के कम में प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार इस कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भी किसी भी वन अधिनियम का किसी भी प्रकार से कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया हैं।

(एस.पी.सरकार)
अधिशासी अभियंता (टी एण्ड सी),
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., चित्तौड़गढ़

दिनांक :– 07.11.2019
स्थान :– चित्तौड़गढ़

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

रानू मौड- अनुज्ञापत्र संख्या 2016.13
कलेक्ट्री परिसर, चित्तौड़गढ़

क्र.स. 771 दिनांक 7-11-19 मूल्य 100/-

मुद्रांक क्रेता का नाम सुनील प्रसाद सरकार

पिता पति / का नाम श्री S/o उमेशलाल

जाति अग्रवाल उद्देश्य शपथ पत्र

निवासी कुपड़ा तहसील बांसवाड़ा

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता 8

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता रानू

आ.न. 8267 3303 6021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अंतर्गत स्टाम्प राशि का प्रभारित ...

आधारभूत आधारभूत ...	10/-
(धारा 3-क ...)	10/-
... और ...	20/-
...	
	रानू

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD.

No.RSEB/Sec.4/Acq./Allot./MHP/Lilwani/F.24(264)/
D. 68/54. Jaipur, Dt.

ORDER.

Sanction of the Chairman subject to ratification by Board is hereby conveyed for payment of cost of Government land measuring 203 Bigha 14 Biswa (356 Bigha 13 Biswa - 152 Bigha 19 Biswa to be surrendered) alloted for Mahi Hydel Project, Banswara at village Lilwani @ Rs. 1500/- per Acre in accordance with Government order No. F.3(48) Rev./Col./79 dt. 21.2.1980 to the Collector/ Tehsildar, Banswara, amounting to Rs. 1,90,965=00 (Rupees One Lac ninty thousand nine hundred sixty five) only.

By Order,

Sd/
(R.S. Dhariwal)
Joint Secretary (Admn.)
RSEB, Jaipur.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chief Engineer (MHP), RSEB, Banswara.
2. The Superintending Engineer (Gen.), RSEB, Mahi Hydel Project, Banswara with reference to his recommendation dated 25.3.1991 given on notesheet.
3. The Executive Engineer(Civil), Mahi Hydel Project, RSEB, Bagidora.
4. The Sr. Accounts Officer, Mahi Hydel Project, RSEB, Banswara.
5. The Accounts Officer (CPC), RSEB, Jaipur.

(L.R. Parnami)
Assistant Secretary(S.4)
RSEB, Jaipur.

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र सं-26(क)
(देखिये नियम 153 ग)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- लिलवानी
पटवार हल्का :- खुंटामछार
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- कलिंजरा
तहसील :- बागीडोरा
जिला :- बाँसवाड़ा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 51
खाता संख्या पुराना :- 44

काश्तकार का नाम/पिता का नाम जाति निवास के पते सहित :-

(1) अधिशासी अभियन्ता माही हाईड्रल प्रोजेक्ट राजस्थान राज्य विधुत मंडल हिस्सा- पूर्ण विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1/375	0.0600	गै.मु.	0.0600			
113	4.3300	गै.मु.	4.3300			
114	5.5500	गै.मु.	5.5500			
115/384	1.1000	गै.मु.	1.1000			
115/392	1.6700	गै.मु.	1.6700			
116	2.2000	गै.मु.	2.2000			
116/385	1.1000	गै.मु.	1.1000			
116/522	1.5600	गै.मु.	1.5600			
117/397	0.8500	गै.मु.	0.8500			
118/523	1.8600	गै.मु.	1.8600			
122	0.6500	गै.मु.	0.6500			
128/524	2.2500	गै.मु.	2.2500			
16	0.9000	गै.मु.	0.9000			
2/376	0.1500	गै.मु.	0.1500			
24/421	0.5000	गै.मु.	0.5000			
3/377	1.0500	गै.मु.	1.0500			
3/389	0.3000	गै.मु.	0.3000			
4/383	1.4700	गै.मु.	1.4700			
4/391	0.9100	गै.मु.	0.9100			
5	1.7500	गै.मु.	1.7500			
5/390	0.0900	गै.मु.	0.0900			
6	1.6500	गै.मु.	1.6500			

पटवारी
पटवार मण्डल
तहसील-बागीदौरा, जि.बांसवाड़ा
11-06-18

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्प
कुल खसरे 22	31.9500	31.9500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 11-Jun-2018

NIC

P.35 क्रमांक 24
11/06/2018

पटवारी
पटवार मण्डल ....
तहसील-बागीदौरा, जि. बांसवाड़ा
11-06-18

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :-	लिलवानी	सम्वत :-	2074 - 2077
पटवार हल्का :-	खुंटामच्छार	भूमि धारक का नाम :-	राज.सरकार
भू.अभि.नि.क्षेत्र :-	कलिंजरा	क्षेत्रफल की ईकाई :-	हैक्टेयर
तहसील :-	बागीडोरा	खाता संख्या नया :-	53
जिला :-	बाँसवाड़ा	खाता संख्या पुराना :-	46

काश्तकार का नाम/पिता का नाम जाति निवास के पते सहित :-

(1) माही हाईड्रल आर.एस.ई.वी.बागीदौरा हिस्सा- पूर्ण विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
115/394	0.2400	गै.मु.	0.2400			
2/379	0.5400	गै.मु.	0.5400			
3	0.7500	गै.मु.	0.7500			
4/387	0.1100	गै.मु.	0.1100			
4/388	0.3000	गै.मु.	0.3000			
4/393	0.5500	गै.मु.	0.5500			
5/382	1.0500	गै.मु.	1.0500			
6/380	0.4400	गै.मु.	0.4400			
कुल खसरे 8	3.9800		3.9800			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 11-Jun-2018

NIC

P. 35 क्रमांक 24
11/06/2018

पटवारी
पटवार मण्डल
तहसील-बागीदौरा, जि.बांसवाड़ा
11-06-18

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485
Registered Office Vidhyut Bhawan,Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (T&C), RVPN, CHITTORGARH
(400 KV GSS Premises) Post : Mata Ji Ki Pandoli, Rojada Road, Mandalada, Chittorgarh (Raj.)
Pin:312201, Website : rvpn.co.in,Email – se.tnc.chittor@rvpn.co.in

NO. RVPN/SE/T&C/COR/TECH/F. /D. 788 Date :- 13.08.2019

CORRIGENDUM

In the continuation of office order no. RVPN/SE/T&C/COR/TECH/F. /D. 1460 dated 01.10.2018, it is clarify that the forest case for construction work of LILO of existing 132 KV Mahi PH-II- Bagidora line to 132 KV GSS, RVPN, Chordi, Tehsil-Anandpuri, Distt. Banswara (Raj.) is a **NEW PROPOSAL CASE**, not a "Violation Case of FCA" as mentioned due to typographical error in above order.

The Proposal of On-Line forest case for Construction of LILO of existing 132 KV Mahi PH-II - Bagidora to 132 KV GSS Chordi, Tehsil-Anandpuri ,Distt. Banswara is a new proposal under FCA and Shri S.P. Sarkar, Executive Engineer (T&C), RVPNL, Chittorgarh is authorized person to submit ONLINE Forest Case.

Superintending Engineer (T&C)
RVPN, Chittorgarh

Copy Submitted/forwarded to for kind information and N/A please :-

1. The District Collector, Banswara.
2. The Dy. Conservator of Forest, Banswara.
3. The Executive Engineer (T&C)/PTCC RVPN, Chittorgarh/Jaipur.
4. The Assistant Engineer (T&C), RVPN, Banswara.

Superintending Engineer (T&C)
RVPN, Chittorgarh

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ36(9)93/एफसीए/प्रमुवसं/ 22-35 दिनांक: 1.2.2019

मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/
बीकानेर/उदयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव)
भरतपुर/(वन्यजीव) उदयपुर/(वन्यजीव)जयपुर/
(वन्यजीव) कोटा/(वन्यजीव) सरिस्का मु0-अलवर ।

विषयः- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली संशोधित दरों के क्रम में।

संदर्भः-राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् लेख है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनाक 7.6.2018 द्वारा श्रमिक दर 201/- प्रति मानव दिवस से श्रमिक दर 213/- प्रति मानव दिवस हो गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में मॉडल कमेटी की दिनांक 31.10.2018 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्रमिक दर 213/- प्रति दिन के आधार पर मॉडलस संशोधित किये गये है। संशोधित मॉडल इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4323 दिनांक 4.1.2019 द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जा चुके है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत् प्रस्तावों में नये मॉडल के अनुसार ही राशि अधिरोपित की जावें।

भवदीय,
(signature) 31/1/19
(योगेन्द्र कुमार दक)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ36(9)93/एफसीए/प्रमुवसं/ 36-136 दिनांक: 1.2.2019

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त उप वन संरक्षकगण.......................................।

(signature)
(टी.सी.वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन
राजस्थान, जयपुर

E/:Office documents/ m

Scanned by CamScanner